राजकीय महाविद्यालय गंगापुरसिटी स.मा.

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से सम्बद्ध

विवरणिका

सत्र– 2020–21

फोन नं.: 07463– 232126

webportal address: http://dce.rajasthan.gov.in

विवरणिका

सत्र 2020–21

प्राचार्य एवं संरक्षक

प्रो0 बृजेन्द्र सिंह मीना

सम्पादक मण्डल

प्रो0 रामकेश मीना

प्रो0 सुरेश चन्द मीना

प्रो0 गंगाराम मीना

प्रो0 महेन्द्र कुमार मीना

राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी जिला– सवाई माधोपुर (राज.)

दूरभाष नं. – (07463) 232126

E-Mail ID :principalggp@gmail.com

प्राचार्य की कलम से......

प्रिय विद्यार्थियों

नवीन सत्र 2020–21 में महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अनुशासनबद्ध विद्यालयीय परिवेश से अलग एक वातावरण यहाँ देखने को मिलेगा किन्तु विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राध्यापकगणों के दिशा–निर्देशानुसार अनुशासनबद्ध आचरण द्वारा अपने उज्ज्वल भविष्य की नींव रखें। सभी विद्यार्थी महाविद्यालय को अपना परिवार मानते हुए इसके सतत् विकास में सहयोग प्रदान करें, महाविद्यालय सम्पत्ति की सुरक्षा करें, अपने गुरूजनों के प्रति सम्मान, सहपाठियों के साथ भाईचारे का व्यवहार बनाये रखें और परस्पर सहयोग देकर एक–दूसरे की प्रगति में सहायक बनें। यह महाविद्यालय अपनी विकसित अवस्था में है और अनेक कठिनाइयों से गुजर रहा है इसलिए हम सभी को चाहिए कि महाविद्यालय की सभी समस्याओं का समाधान खोजे और महाविद्यालय में विद्यमान सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठावें। महाविद्यालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली शैक्षिक, सहशैक्षिक तथा खेल–कूद आदि अन्य समस्त गतिविधियों में भाग लेकर अपना सर्वांगीण विकास करें। अपने विषय से सम्बन्धित कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा अपने सहपाठियों को भी इस हेतु प्रेरित करें। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक के रूप में राष्ट्र सेवा में सहभागी बनें। कक्षाओं के अतिरिक्त समय में पुस्तकालय से ज्ञानार्जन करें और नवीनतम जानकारी प्राप्त करते हुए अपने अमूल्य समय का सदुपयोग करें। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के साथ–साथ अपने ज्ञान को अपने आचरण में लावें। जीवन में विनम्रता, सदाचरण और कर्त्तव्य के प्रति ईमानदारी से सुवासित रहें। कहा भी गया है–

" हे मित्र! नित्यं चल सावधानं, क्षणं न सहते लोकः प्रमादम्।

शान्तेन चित्तेन विचिन्त्य तस्मात्, शनैःशनैरात्मपदं विधेयम्।।"

इसी अभिलाषा के साथ विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करते हुए ईश्वर से आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ।

प्रो0 बृजेन्द्र सिंह मीना

महाविद्यालय एक परिचय

इस महाविद्यालय की स्थापना 1सितम्बर 1977 को राजस्थान सरकार द्वारा की गयी। प्रारम्भ में यह महाविद्यालय स्थानीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में चला। दो वर्ष पश्चात् नगर वासियों के सहयोग से वर्तमान भवन का निर्माण कराया गया जो गंगापुर – नादौती – अलवर राज मार्ग पर नगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस समय महाविद्यालय में प्रशासनिक भवन के अतिरिक्त 34 अध्ययन कक्ष एवं पांच विज्ञान प्रयोगशालाऐं व एक कम्प्यूटर प्रयोगशाला व एक सेमीनार हॉल हैं। पुस्तकालय में 30000 पुस्तकें हैं। विषय पत्रिकाओं के अतिरिक्त दैनिक पत्र एवं पत्रिकाऐं नियमित रूप से प्राप्त हैं।

महाविद्यालय निर्माण की योजना महाविद्यालय प्रारम्भ होने की तिथि से कई वर्ष पूर्व बनाई गई थी, इस हेतु 23–11–1973 को राज्य सरकार द्वारा 14 बीघा भूमि अवाप्ति हेतु आवंटित की गयी थी। महाविद्यालय के भावी विकास हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 31–12–1991 को महाविद्यालय के लिए 36 बीघा 4 बिस्वा अतिरिक्त भूमि अवाप्ति के आदेश पारित किये गये हैं। जिसका नामांतकरण दिनांक 14/06/2011 को महाविद्यालय के नाम खोल दिया गया है। सत्र 2012–13 से राजस्थान सरकार ने इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत कर दिया है। सत्र 2016–17 से राजस्थान सरकार ने इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विषय प्रारम्भ किया है।

महाविद्यालय विकास समिति महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है। वर्तमान में महाविद्यालय के कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों के विभिन्न विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में लगभग 3685 छात्र अध्ययनरत हैं।

ज्ञातव्य है कि रैंगिंग दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय परिसर में यदि कोई विद्यार्थी रैंगिंग करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्रवेशार्थियों के लिए आवश्यक निर्देशः–

1. प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जावेंगे, आवेदन भरने से पूर्व फेक प्रश्न अवश्य पढ़ ले।
2. प्रवेश आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियॉ भरें।
   विशेष– वैकल्पिक विषयों के नाम, पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षाओं के परिणाम का विवरण स्पष्ट लिखें।
3. अपना नवीनतम फोटो लगायें (सभी फोटो एक जैसे हों)
4. प्रवशार्थी प्रवेश सूचना पट्ट पर नाम आने के तुरन्त बाद निर्धारित तिथि तक अपना शुल्क महाविद्यालय में जमा करायें, तभी उनका प्रवेश वैध माना जावेगा। प्रवेशार्थी को प्रवेश सूचना प्राप्त होते ही मूल प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ फीस जमा करावें अन्यथा प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जावें।
5. प्रवेशार्थी मूल प्रमाण–पत्रों को जमा करवाने से पूर्व आवश्यकतानुसार फोटो कॉपी करवाकर अपने पास रख लें। महाविद्यालय से मूल प्रमाण–पत्र नामांकन के बाद ही वापस किये जा सकेंगे, इससे पूर्व नहीं।
6. अपना परिचय–पत्र सदैव अपने पास रखें एवं समय–समय पर सूचना–पट्ट अवश्य देखें। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाओं के कार्यक्रमों से सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाऐं सूचना पट्ट पर उपलब्ध रहती है।
7. प्रवेश की अन्तिम तिथि के 15 दिन बाद तक ही विषय परिवर्तन स्वीकार्य होगा। जिसके लिए 200 रूपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
8. प्रवेश आवेदन–पत्र जमा करवाने से पहले पूर्ण रूप से देख लें कि सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिये है।
9. द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों से ड्राफ्ट लिया जावेगा, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा फीस का ड्राफ्ट जमा करा देने से ही प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। उनको प्रवेश रिक्त स्थान होने व वरीयता क्रम में आने एवं पिछली कक्षा में पास होने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थी निर्धारित तिथि को प्रकाशित की जाने वाली अन्तिम सूची में अपना नाम अवश्य देख लें।
   विशेष– अभ्यार्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि उनके द्वारा शुल्क जमा करवाने का तात्पर्य सम्बन्धित कक्षा में प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। प्रवेश सूची में नाम आने पर ही अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा।

सत्र 2020–21 स्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया

ऑन लाईन प्रवेश कार्यक्रम – स्नातक पार्ट– प्रथम

क0सं0	विवरण	वार व तिथि
1	**ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना– प्रारम्भ होने की तिथि**	**मंगलवार – 28 जुलाई 2020**
2	**आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि**	**मंगलवार – 11 अगस्त 2020**
3	महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	शुक्रवार – 14 अगस्त 2020
4	(अ) अन्तरिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन	सोमवार – 17 अगस्त 2020
	(ब) अभ्यर्थियों द्वारा ई–मित्र पर शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	शनिवार – 22 अगस्त 2020
5	**प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन**	**मंगलवार – 25 अगस्त 2020**
6	प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन	गुरूवार – 27 अगस्त 2020
7	**महाविद्यालय में ऑन लाईन स्नातक पार्ट प्रथम शिक्षण कार्य प्रारम्भ**	**शनिवार – 29 अगस्त 2020**

श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये पुनः ऑन लाईन प्रवेश कार्यक्रम

क0सं0	विवरण	वार व तिथि
8	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	बुधवार – 26 अगस्त 2020
9	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	मंगलवार – 1 सितम्बर 2020
10	प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑन लाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	बुधवार – 2 सितम्बर 2020
11	(अ) रिक्त स्थानों के लिये अन्तिम प्रतीक्षा की सूची का प्रकाशन	गुरूवार – 3 सितम्बर 2020
	(ब) अभ्यर्थियों द्वारा ई–मित्र कियोस्क पर शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	सोमवार – 7 सितम्बर 2020
12	प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	मंगलवार – 8 सितम्बर 2020
13	नव प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन	बुधवार – 9 सितम्बर 2020

उपस्थिति की अनिवार्यता

''नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम'' शब्द का अर्थ है, विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अन्तर्गत जिस परीक्षा में छात्र सम्मिलित होना चाहता हैं उसके लिए आयोजित व्याख्यान (लेक्चर) अनुशिक्षण कक्षा (ट्यूटोरियल्स) प्रयोगात्मक कक्षा में उसकी वांछित उपस्थिति, आवश्यक अध्यादेश 145 ए में यह प्रावधान है कि जिस छात्र/छात्रा की न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत नहीं है उसको परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय के केस सं. 4557/94 से भी निर्णय हो चुका है कि उपस्थिति 75 प्रतिशत पूर्ण न होने की दशा में छात्रों को नियमित परीक्षा से वंचित कर दिया जावे।

उपस्थिति नियमः—

1. सत्र में लिए गए सभी विषयों के व्याख्यानों में पृथक—पृथक कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। सैद्धान्तिक (थ्यौरी) एवं प्रायोगिक (प्रेक्टीकल) कक्षाओं को पृथक—पृथक विषय माना जावेगा। उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर संबंधित छात्र को परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में नहीं बैठने दिया जायेगा।
2. जो विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) अर्न्तमहाविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल—कूद प्रतियोगिता आदि में भाग लेने भेजे जावेंगे उन्हें उन दिनों की उपस्थिति दी जावेगी।
3. उपस्थिति सत्र के प्रारम्भ में कक्षाओं के लगने की तिथि से गिनी जावेगी। यदि कोई छात्र विषय परिवर्तन करता है तो पूर्व विषय की उपस्थिति नये विषय में नहीं जोड़ी जावेगी। यदि कोई छात्र महाविद्यालय में सत्र के बीच में किसी अन्य महाविद्यालय से आता है तो उसके स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र में अंकित उपस्थिति में कुल उपस्थिति जोड़ दी जावेगी।
4. उपस्थिति सम्बन्धी नियम विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित होते हैं तथा वे ही मान्य होंगे।

पाठ्यक्रम सुविधाऐं:—

1. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम — एम.ए. राजनीतिक विज्ञान एवं एम.कॉम—लेखा एवं व्यावसायिक साख्यिकी
2. महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध है।

स्नातक पाठ्यक्रम प्रथम पार्ट

इस कक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं पर्यावरण अध्ययन का एक—एक अनिवार्य प्रश्न—पत्र होगा। कला संकाय के त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित वैकल्पिक विषय—समूह उपलब्ध है।

विषय समूह— राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी

कला संकाय	स्नातक पाठ्यक्रम	प्रथम पार्ट
1. राजनीति विज्ञान	हिन्दी साहित्य	इतिहास
2. राजनीति विज्ञान	हिन्दी साहित्य	अंग्रेजी साहित्य
3. राजनीति विज्ञान	हिन्दी साहित्य	संस्कृत
4. राजनीति विज्ञान	इतिहास	अर्थशास्त्र
5. राजनीति विज्ञान	इतिहास	समाजशास्त्र
6. राजनीति विज्ञान	अंग्रेजी साहित्य	अर्थशास्त्र
7. राजनीति विज्ञान	अंग्रेजी साहित्य	समाजशास्त्र
8. हिन्दी साहित्य	अंग्रेजी साहित्य	अर्थशास्त्र
9. हिन्दी साहित्य	संस्कृत	अर्थशास्त्र
10. हिन्दी साहित्य	संस्कृत	समाजशास्त्र
11. इतिहास	संस्कृत	अर्थशास्त्र
12. इतिहास	संस्कृत	समाजशास्त्र
13. राजनीति विज्ञान	हिन्दी साहित्य	अर्थशास्त्र
14. राजनीति विज्ञान	हिन्दी साहित्य	समाजशास्त्र
15. राजनीति विज्ञान	इतिहास	अंग्रेजी साहित्य
16. राजनीति विज्ञान	इतिहास	संस्कृत
17. राजनीति विज्ञान	संस्कृत	समाजशास्त्र
18. हिन्दी साहित्य	इतिहास	अंग्रेजी साहित्य
19. राजनीति विज्ञान	संस्कृत	अर्थशास्त्र
20. हिन्दी साहित्य	इतिहास	संस्कृत
21. हिन्दी साहित्य	इतिहास	अर्थशास्त्र
22. हिनदी साहित्य	इतिहास	समाजशास्त्र
23. हिन्दी साहित्य	अंग्रेजी साहित्य	समाजशास्त्र
24. इतिहास	अंग्रेजी साहित्य	अर्थशास्त्र
25. इतिहास	अंग्रेजी साहित्य	समाजशास्त्र

विज्ञान संकाय	स्नातक पाठ्यक्रम	प्रथम पार्ट	
(अ) भौतिक शास्त्र	रसायन शास्त्र	गणित	(Maths Group)
(ब) प्राणीशास्त्र	वनस्पतिशास्त्र	रसायन शास्त्र	(Bio. Group)

वाणिज्य संकाय	स्नातक पाठ्यक्रम	प्रथम पार्ट
लेखा एवं सांख्यिकी	व्यावसायिक प्रशासन	आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध

स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के लिए उपलब्ध प्रवेश संख्या

कक्षा का नाम	स्वीकृत वर्ग	प्रवेश संख्या
1. एम.ए. राजनीति विज्ञान	1	60
2. एम. कॉम ए.बी.एस.टी	1	60

स्नातक स्तर के पार्ट प्रथम के लिए उपलब्ध वर्गों की संख्या

कक्षा का नाम	स्वीकृत वर्ग	प्रवेश संख्या
3. बी.ए. पार्ट प्रथम में स्वीकृत कुल वर्ग	12	1200
4. बी.एस.सी. पार्ट प्रथम	03	264
गणित वर्ग	02	176
जीव विज्ञान वर्ग	01	88
5. बी.कॉम पार्ट प्रथम	02	200

नोट–

1. किसी भी स्थिति में उक्त निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश नहीं दिये जावेंगे।
2. बी.ए. / बी.एस.सी. / बी.कॉम पार्ट द्वितीय व तृतीय के लिए महाविद्यालय के सभी उत्तीर्ण नियमित छात्र प्रवेश योग्य है।
3. स्वीकृत वर्गो एवं स्थानों की संख्या निदेशालय के आदेशानुसार परिवर्तनीय है।

शैक्षणिक सूचनाऐं

(अ.) प्रवेश विधि–

1. पूर्णतः भरे हुए आवेदन–पत्र अपेक्षित प्रमाण–पत्रों सहित(शैक्षणिक सत्र सारणी में उल्लेखित तिथियों अथवा महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथियों तक) संकाय शाखा में प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक पंजीयन शुल्क भुगतान करके जमा कराये जा सकते हैं।
2. अपूर्ण आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें। विलम्ब शुल्क से आवेदन–पत्र स्वीकार करने का प्रावधान नहीं है।
3. आवेदन–पत्रों की जॉच करने के पश्चात् प्रवेश योग्य छात्रों की सूची निर्धारित प्रवेश तिथियों के अनुसार वरीयता क्रम से सूचना पट्ट पर लगा दी जावेगी। प्रवेश सूची में सम्मिलित छात्रों की सूची में निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाण–पत्रों के साथ शुल्क जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नही करने पर प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

(ब) प्रवेश–नियमावली

1. महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय / विषय में जितने छात्रों की संख्या निश्चित है, उतने ही स्थानों पर राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश देय होगा।
2. स्नातक प्रथम पार्ट में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 11 / 08 / 2020 है। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
3. अपूर्ण तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद कोई भी प्रवेश नहीं होगा।
5. जिन छात्रों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनको सत्र के प्रारम्भ में ही निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश ले लेना चाहिए। उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से गिनी जावेगी। प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा।
6. प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख होना आवश्यक है

7. **एम ए./एम.कॉम पूर्वाद्ध के लिए–**

(1) बी.ए./बी.कॉम की अंकतालिका की तीन फोटो प्रतियॉं।

(2) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की फोटो प्रतिलिपी

(3) चरित्र प्रमाण–पत्र की फोटो प्रतिलिपी

(4) आय प्रमाण–पत्र

(5) तीन पोस्टकार्ड स्वयं का पता लिखा हुआ।

(6) जाति प्रमाण पत्र की फाटो प्रति

(क) बी.ए/बी.एस.सी./बी.कॉम. पार्ट प्रथमः

(1) सीनियर सैकण्डरी की अंकतालिका की तीन फोटो प्रतियॉं।
(2) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की फोटो प्रतिलिपी
(3) चरित्र प्रमाण–पत्र की फोटो प्रतिलिपी
(4) आय प्रमाण–पत्र
(5) तीन पोस्टकार्ड स्वयं का पता लिखा हुआ।
(6) जाति प्रमाण पत्र की फाटो प्रति

प्रवेश शुल्क जमा कराते समय मूल अंक तालिका, स्थानान्तरण प्रमाण– पत्र व चरित्र प्रमाण– पत्र जमा कराने होंगें।

(ख) स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय कला, विज्ञान व वाण्ज्यि स्नातकोत्तर(उत्तरार्द्ध) के सभी नियमित व पूर्व छात्र अपने वायोडाटा प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र दिनांक 15/07/2020 तक महाविद्यालय में प्रस्तुत करें।

1. **आवश्यक शुल्क महाविद्यालय में आवेदन पत्र के साथ जमा करावें।**
2. **आय प्रमाण पत्र**

(ग) यदि छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति का/ विशेष पिछड़ी जाति (SBC) की है तो उसकी पुष्टि में जिला कलेक्टर/प्रथम श्रेणी दण्डनायक के प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें।

(घ) जिनके अभिभावक राजस्थान सरकार के कर्मचारी हों, वे सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से आय प्रमाणित करवायें, तभी शिक्षण शुल्क से मुक्ति दी जा सकेगी।

(ड़) आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर अभिभावक की वार्षिक आय की घोषणा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। किन्तु छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण–पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त होना आवश्यक है। तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र छः महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(च) खेल आदि में विशेष योग्यता का प्रमाण–पत्र, जिसके आधार पर बोनस अंक चाहे गये हों तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(छ) विश्वविद्यालय परिवर्तन का प्रमाण–पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) यदि प्रार्थी कोटा विश्वविद्यालय के क्षेत्र के बाहर से आ रहा हो।

8. प्रवेश आवेदन–पत्र पर छात्र/छात्रा के पिता/सरंक्षक के सही हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
9. सेवारत प्रवेशार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनुमति–पत्र संलग्न करें अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जावेगा, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. प्रवेश आवेदन–पत्र में दिये गये किसी भी असत्य विवरण का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा।
11. ऐसे प्रवेश आवेदक जिनके विरूद्ध महाविद्यालय प्रशासन ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी है, को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
12. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी छात्र का आचरण कभी आपत्तिजनक पाया गया या उसने कॉलेज का अनुशासन भंग किया। या उसके प्रवेश आवेदन–पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई या अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य के हस्ताक्षर करवाये अथवा स्वयं ने हस्ताक्षर किये जो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय समझा जावेगा और उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा।
13. विद्यार्थियों के आचरण, चरित्र, विकास तथा नियमित रूप से कक्षा में उपस्थिति एवं शुल्क आदि जमा कराने की जिम्मेदारी उनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की होगी।
14. प्रत्येक विद्यार्थी को यह घोषणा करनी होगी कि वह राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय या निजी संस्था की सेवा में नहीं है।
15. प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न सभी प्रपत्रों की पूर्ति छात्रों को करनी है केवल प्रवेश की पर्ची पर वर्ग अंकित करने वाला स्थान रिक्त छोड़ देना है।
16. कक्षा के जिस वर्ग में प्रवेश दिया जावेगा सामान्यतः उनमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
17. प्रत्येक संकाय के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है।
18. शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि समाप्त होते ही विद्यार्थियों के वर्ग निर्धारण की सूची सूचना पट्ट पर लगा दी जावेगी। जिसमें विद्यार्थियों के प्रवेशांक एवं वर्गो का उल्लेख होगा। इसी वर्ग सूची के आधार पर विद्यार्थी अपने–अपने वर्गो की समय सारणी के अनुसार कक्षाओं में अध्ययन करें व अपनी उपस्थिति दर्ज करायें।

19. आवश्यक होने पर बाहर के विश्वविद्यालय/बोर्ड के पूरक प्रवेशार्थियोंको प्रवेश तभी दिया जा सकता है, जबकि उनकी पूरक परीक्षा का परिणाम प्रवेश की अन्तिम तिथि से पूर्व घोषित हो गया हो।(वि.वि. अधिनियम– 198 बाद टिप्पणी–3)
20. श्रेणी सुधार के प्रयोजन से महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। (वि.वि. अधिनियम–169 एफ.)
21. रोवर स्काउट/एन.एस.एस./एन.सी.सी. प्रवेश हेतु सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क करें तथा सूचना पट्ट देखें।
22. प्रत्येक विद्यार्थी की नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना–पट्ट देखना चाहिए अन्यथा कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होने पर दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।

(स) उपस्थिति नियम

1. सत्र में लिए गये सभी विषयों के व्याख्यानों में पृथक–पृथक कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं को पृथक–पृथक विषय माना जावेगा। उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर सम्बन्धित छात्र को परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठने नहीं दिया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी छात्र स्वयं की एवं उसके माता/पिता/संरक्षक की होगी। इस स्थिति में किसी भी प्रकार से महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. जो विद्यार्थी एन.सी.सी., राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.), अर्न्तमहाविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिता आदि में भाग लेने भेजे जावेगें उन्हें उन दिवसों की उपस्थिति दी जावेगी।
3. उपस्थिति सत्र के आरम्भ में कक्षाओं के लगने की तिथि से गिनी जावेगी। यदि कोई छात्र विषय परिवर्तन करता है, तो पूर्व विषय की उपस्थिति नये विषय में नहीं जोड़ी जावेगी। यदि कोई छात्र इस महाविद्यालय में सत्र के बीच में किसी अन्य महाविद्यालय से आता है तो उसके स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र में अंकित उपस्थिति कुल उपस्थिति में जोड दी जावेगी।
4. उपस्थिति सम्बन्धी नियम विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित होते हैं तथा वे ही मान्य होगें।

(द) आचरण सम्बन्धी सामान्य नियम

1. महाविद्यालय में किसी भी संस्था या क्लब के निर्माण हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
2. किसी भी सभा का आयोजन करने या बाहर से किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए प्राचार्य की अनुमति आवश्यक है।
3. विद्यार्थी कक्षाओं के भीतर व बाहर शान्त रहेंगे। महाविद्यालय की स्थापित परम्पराओं के अनुसार अनुशासित रहना छात्र का कर्तव्य है।
4. छात्र अपने खाली समय का उपयोग पुस्तकालय व वाचनालय की स्थापित परम्पराओं के अनुसार करे, अनुशासित रहना छात्र का कर्तव्य है।
5. विद्यार्थी घास के मैदानों एवं फूल–पौधों का उचित संबर्द्धन करें तथा नुकसान न पहुँचायें।
6. छात्र महाविद्यालय संपदाका उचित ढंग से उपयोग करें। अध्ययन कक्षों में आवश्यकता न होने पर पंखों को बन्द कर दें तथा फर्नीचर, बिजली के उपकरणों व फिटिंग को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचायें।
7. पूर्व छात्र प्राचार्य की लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त करने पर ही कक्षा में बैठें।
8. अनुशासन भंग करना गंभीर अपराध है। अनुशासनहीन छात्रों को दण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है।
9. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये गये छात्र को छात्रवृत्ति एवं शुल्क मुक्ति नहीं दी जावेगी।
10. अच्छा चरित्र प्रमाण–पत्र पाने के लिए अच्छा आचरण एवं शिष्ट व्यवहार नितांत आवश्यक है।
11. राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक स्थल धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान नशीली वस्तुओं का सेवन करना दण्डनीय अपराध होगा।
12. प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय समय में अपना परिचय–पत्र अपने पास रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी के पूछे जाने पर दिखाना चाहिए।
13. दुराचरण के दोषी छात्र/छात्रा के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम 88 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके अन्तर्गत दोषी छात्र/छात्रा को कुछ समय के लिए अथवा पूरे सत्र के लिए महाविद्यालय से निकाला जा सकता है।
14. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनाने वाले अथवा अधीक्षक के आदेशों की अवहेलना करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय अधिनियम 152 के प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जावेगा। वि.वि. अधिनियम एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम, 1992 व वि.वि. अधिनियम 152 की धारा (4) के अन्तर्गत अधीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को उस प्रश्न–पत्र की अथवा शेष सभी प्रश्न–पत्रों की परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
15. पुस्तकालय की पुस्तकों को दूसरे छात्रों के साथ हस्तांतरित करना अथवा उनकी चोरी गंभीर अपराध माना जावेगा। तदनुसार दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
16. कक्षा के अन्तर्गत तथा महाविद्यालय परिसर में की गई अनुशासनहीनता को गंभीर दुराचरण माना जावेगा और दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जावेगी।
17. छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने महाविद्यालय परिवार के प्रति विनयशील रहे तथा महाविद्यालय की सम्पति की रक्षा स्वयं करें और हानि पहुँचाने वालों को प्रकाश में लावें।

18. महाविद्यालय भवन जिसमें पुस्तकालय भवन, प्रयोगशाला भवन भी शामिल है की दीवारों पर कुछ भी न लिखें। यदि कोई विद्यार्थी दीवारों पर लिखते हुए पाया गया या जिसके समर्थन में लिखा गया है, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

कक्षा

1. महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिए बिना छात्र को कक्षा में नहीं बैठने दिया जावेगा।
2. विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति शालीन रहें।
3. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अध्यापक के आने से पूर्व कक्षा में प्रविष्ट हों तथा अध्यापक द्वारा कक्षा छोड़ने तक वहीं रूके रहें।
4. अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करते ही छात्र अपने स्थान पर खड़े होकर अध्यापक का सम्मान करें।

सभा स्थल

1. महाविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी सभा या समारोह के अवसर पर सभी विद्यार्थी, अतिथिगण, प्राचार्य एवं संकाय सदस्यों के सभा स्थल में प्रवेश होने एवं प्रस्थान करने के समय शिष्टाचार पूर्वक खड़े रहें तथा उनके स्थान ग्रहण करने से लेकर स्थान छोड़ने तक सभा स्थल पर उपस्थित रहें।
2. प्रत्येक परिसंवाद और वाद–विवाद में विनम्रता, सम्मान और सद्भावना अपेक्षित है।

महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाऐं

(1) पुस्तकालय

महाविद्यालय पुस्तकालय अलग भवन में स्थापित है। जिसमें लगभग 30000 छात्रोपयोगी पुस्तकें उपलब्ध है। इसमें छात्रों को मुक्त द्वार प्रणाली सेवा उपलब्ध है। छात्रों के लिए अलग से अध्ययन कक्ष है, जिसमें पत्र–पत्रिकाओं एवं आरक्षित पाठ्य–पुस्तकें रखी हुई है, जिसमें से ' बुक बैंक' योजना के अन्तर्गत निर्धन एवं प्रतिभावन छात्राओं को पूरे सत्र के लिए भी पुस्तकें दी जाती हैं। पुस्तकें हमारी धरोहर है। अतः उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाये बिना ज्ञानार्जन करें।

अ– पुस्तकालय के नियम

1. पुस्तकालय में प्रवेष करते समय अपना निजी सामान काउन्टर पर रखें।
2. वाचनालय खुलने का समय प्रातः 10.30 से सायं 5.00 बजे तक का है। वाचनालय में विद्यार्थी शांत रहकर अध्ययन करें। किसी भी प्रकार की आवाज या बातचीत निषिद्ध है।
3. छात्रों को पुस्तकें प्रतिदिन प्रातः 10.30 बजे से 2.00 बजे तक उनके कार्ड पर परिचय–पत्र दिखाने पर निर्गमित की जावेगी।
4. कार्यालय से प्राप्त विद्यार्थियों की सूची के अनुसार प्रत्येक छात्र को दो पाठक टिकट दिये जावेगें। जिसके लिए उन्हें काउन्टर पर अपना पहचान–पत्र दिखाना होगा। यह पाठक टिकट हस्तांतरणीय नहीं है।
5. पुस्तकालय से विद्यार्थियों को पुस्तकें उनके पाठक टिकिट पर 15 दिन के लिए निर्गमित की जाती है। निर्धारित तिथि तक न लौटाने पर प्रत्येक पुस्तक पर 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड लिया जावेगा।
6. महाविद्यालय के बुक बैंक से निर्धन छात्राओं को पुस्तकें दी जाती है। इसके लिए छात्र निर्धारित आवेदन पत्र 1 रूपया देकर पुस्तकालय से प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक पुस्तकालय में जमा करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. पुस्तकालय की पुस्तकों पर अपना नाम लिखने, उसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह आदि लगाने अथवा पृष्ठ फाड़ने या पुस्तक को अन्य किसी प्रकार से खराब करने पर पुस्तक के मूल्य की दुगुनी राशि वसूल की जावेगी।
8. संदर्भ ग्रन्थ/आरक्षित पाठ्य–पुस्तकें और पत्रिकायें घर के लिए निर्गमित नहीं की जाती हैं किन्तु आवश्यकता पड़ने पर परिचय पत्र के माध्यम से वाचनालय में देखी जा सकती है।
9. पत्रिकायें वाचनालय में उपलब्ध रहती है, उन्हें पढ़ने हेतु छात्र का अपना परिचय–पत्र उपस्थित कर्मचारी को देना होगा। पत्रिकाओं में से पृष्ठ फाड़ने या उनके चित्र खराब करने की स्थिति में दोषी छात्र से पत्रिका का दुगुना मूल्य वसूल किया जावेगा।
10. यदि कोई विद्यार्थी पुस्तकालय की पुस्तक चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे निर्धारित नियमों के अन्तर्गत दण्ड़ित किया जावेगा।
11. पुस्तक प्राप्त करने से पूर्व भली–भॉति पुस्तक देख कर लेनी चाहिए। यदि पुस्तक के पन्ने फटे हुए हों या कम हों तो सम्बन्धित अधिकारी को दिखाकर उनके हस्ताक्षर करा लें अन्यथा पुस्तक लौटाते समय यदि फटी हुई पायी जावेगी अथवा उसके पृष्ठ कम हुए तो उसके लिए विद्यार्थी स्वयंजिम्मेदार होगा।
12. विद्यार्थी का कार्ड खोने व उन पर प्राप्त की गई पुस्तकों के खो जाने पर तुरन्त लिखित सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को देनी चाहिए।
13. पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारपाल को बाहर जाने वाली सभी पुस्तकों को देखने का पूर्ण अधिकार है।
14. पुस्तकालय कर्मचारियों को विद्यार्थियों की तलाशी लेने का अधिकार है।

ब– पुस्तक बैंक

महाविद्यालय के ऐसे नियमित छात्र/छात्रा जिनकों कि स्कॉलरशिप मिलती है, उन्हें पुस्तक बैंक से पुस्तक दिये जाने की राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। अतः ऐसे छात्र पुस्तकालय के सूचना–पट्ट पर जारी सूचना के अनुसार आवेदन–पत्र राशि 1 रूपया देकर पुस्तकें नियमानुसार प्राप्त कर सकते है।
पुस्तक बैंक योजना के अन्तर्गत निर्गमित पुस्तकों को परीक्षा समाप्ति के एक सप्ताह में जमा कराना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह बाद तक पुस्तकें नहीं लौटाता है तो उसे 7 दिन बाद 50 पैसे प्रतिदिन प्रति पुस्तक विलम्ब दण्ड देना होगा। यदि परीक्षा सम्पति के एक माह बाद तक विद्यार्थी पुस्तकें जमा नहीं कराता है तो उन पुस्तकों के मूल्य की दुगुनी राशि उसकी छात्रवृत्ति से काट ली जावेगी।

स– अमानत राशि पर पुस्तक निर्गमन व्यवस्था

परीक्षा काल में पाठ्य पुस्तकें आमनत राशि पर छात्रों को देने का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत 1 रूपये में निर्धारित आवेदन–पत्र पुस्तकालय से प्राप्त कर वांछित पुस्तकें आवेदन–पत्र में अंकित कर पुस्तकालय के अग्रेषण पर कैशियर को पुस्तक मूल्य की दुगुनी राशि जमा करवाकर परीक्षाकाल पर्यन्त पढ़ने के लिए पुस्तक प्राप्त की जा सकती है। किन्तु परीक्षा की समाप्ति के एक सप्ताह में उन्हें जमा कराना अनिवार्य है। अन्यथ 1 रूपया प्रतिदिन अर्थदण्ड देना होगा जो अदा न किये जाने पर अमानत राशि से वसूल किया जावेगा।

द– पुस्तकें लौटाने की व्यवस्था

पुस्तकालय पाठक टिकट एवं उन पर ली गई पुस्तकं प्रवेश–पत्र लेने से पूर्व लौटा देनी होगी। पुस्तकालय पाठक टिकट खो जाने की स्थिति में पॉच रूपया प्रति टिकट जमा कराना होगा तथा 5 रूपया अतिरिक्त दण्ड देना होगा। खोये गये पाठक टिकिट पर प्राप्त की गई पुस्तकों के लिए पुस्तकालय जिम्मेदार नहीं होगा।

2– राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

एन.एस.एस. का गांधी शताब्दी वर्ष में शुभारम्भ राष्ट्रपिता को उनके युवाओं में अटूट विश्वास की श्रद्धाजंली का स्वरूप है। अपने शैशव से यौवन की यात्रा में एन.एस.एस. ने शैक्षिक परिसरों को समाज से जोड़ने का काम किया है। तथा सावर्जनिक हित की अनेक योजनाऐं क्रियान्वित की है। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्र शिक्षा के साथ–साथ समाज सेवा द्वारा योग्य नागरिक बने।

कार्यक्रम को अभिनव बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता, एड्स के प्रति जागरूकता, बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास, राष्ट्र/प्रदेश के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने आदि कार्यक्रमों को एकीकृत रंग में एन.एस.एस. के साथ जोड़ा गया है। एन.एस.एस. के साथ जुड़कर छात्र/छात्राऐं ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक हो सकते है तथा इस प्रकार समाज में एक उत्तरदायी नागरिक बन सकते है।

एन.एस.एस. में छात्रों को नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत 2 वर्ष में 240 घण्टे अपनी रूचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है। नियमित गतिविधियों में छात्रों के लिए विभिन्न विषयों पर पुनर्विन्यास, वाद–विवाद, आशुभाषण, क्विज, जागरूकता आदि कार्यक्रम महाविद्यालय/बस्ती में आयोजित किये जाते हैं तथा एक 7 दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना होता है। उत्कृष्ट कोटि का कार्य करने वाले स्वयं सेवकों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार एव सम्मान प्रदान किया जाता है।

हमारे महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा एन.एस.एस.की 3 ईकाईया स्वीकृत है। जिनमें प्रत्येक वर्ष 300 छात्र/छात्रायें पंजीकृत किये जाते है।

एन.एस.एस. गतिविधियों में भाग लेने वाले इच्छुक छात्र/छात्रा को एक आवेदन–पत्र भरना आवश्यक है, जो महाविद्यालय के एन.एस.एस. के कार्यक्रम अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए छात्र सूचना पट्ट पर समय–समय पर लगायी जाने वाली सूचनाओं को देखें।

3. राष्टीय कैडेट कोर का ध्येय–एकता और अनुशासन

इस महाविद्यालय में मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ छात्रों को चरित्र साहचर्य अनुशासन, नेतृत्व , धर्मनिरपेक्षता, रोमांच तथा निःस्वार्थ सेवा भाव को संचार करने के लिए तथा देश सेवा हेतु श्रेष्ट नागरिक और सशस्त्र सेना में सेवा हेतु युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से सत्र 2003–04 से एन.सी.सी. का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया था वर्तमान में लेफ्टिनेंट रैंक के एन.सी.सी.ऑफिसर प्रो. विजेन्द्र कुमार मीणा है। महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश के तुरन्त बाद शारीरिक दक्षता एवं मानसिक योग्यता के आधार पर छात्रों को एन. सी.सी. कैडेट के रूप में चयनित किया जाता है।

'सी' प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण कैडेट का प्रतिरक्षा सेवा के विभिन्न पदों पर सीधा चयन होता है। Aतथा B ग्रेड प्राप्त कैडेटों का बिना लिखित परीक्षा के अधिकारी के रूप में चयन किये जाने का प्रावधान है।

एन सी.सी. प्रशिक्षण में सैन्य कवायद, हथियारों का संचालन, सैन्य भूगोल व इतिहास के अलावा विविध आपदा प्रबन्धन एवं समाज सेवा कार्योको महत्व दिया जाता है। प्रतिवर्ष प्रदेश स्तरीय शिविरों के अलावा राष्ट्रीय शिविरों में कैडेट अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होकर भाग लेते है। जिनमें विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है तथा श्रेष्ठ कैडेट को प्रशस्तिपत्र प्रदान किये जाते है। पर्वतारोहण, विदेश भ्रमण आदि भी प्रशिक्षण के भाग हैं। 'बी' एवं सी प्रमाण पत्रों का लाभ उच्च शिक्षा एवं विविध रोजगार सेवाओं में भी निर्धारित है। (सेना पुलिस एवं एन.सी.सी.कैडेट जो प्रशिक्षण के दौरान अकादमिक परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करते है उन्हे एन. सी.सी. महानिदेशालय, सहारा इण्डिया आदि द्वारा स्कॉलरशिप नगद राशि के रूप में प्रदान की जाती है।

4. रोवर/रेंजर

देश के विकास के लिए छात्रों में सेवा भावना एवं पारस्परिक मेल जोल बढ़ाने के लिए महाविद्यालय स्तर पर स्काउटिंग की एक ईकाई रोबर कू (छात्र) चलाई जा रही है, जिसका संचालन राज, राज्य भारत स्काउट व गाइड द्वारा होता है। इसके अन्तर्गत स्थानीय जिला, राज्य एवं राष्टीय स्तर पर शिविर आयोजित करवाये जाते हैं। उनमें प्रवेश , निपुण एवं राष्टपति रोवर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके माध्यम से छात्र/ छात्राओं के चरित्र निर्माण में मदद मिलती है व राष्ट्रीय एकता सुदृढ होती है। जो विद्यार्थी सेवा भावना में विश्वास रखते हैं तथा देश के विकास के प्रति जागरूक है वे पारस्परिक सद्भावना एवं मेलजोल बढ़ाने वाली इस प्रवृत्ति में भाग लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। रोवर कू में 24 छात्र पंजीकृत किये जाते है।

5. कम्प्यूटर शिक्षा

राज्य सरकार द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा के महत्व को देखते हुए तीनों संकायों (कला, विज्ञान, वाणिज्य) के स्नातक पार्ट प्रथम में प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग का एक अनिवार्य विषय प्रारम्भ किया गया है।

उक्त शिक्षण के लिए स्नातक पार्ट प्रथम के सभी विद्यार्थियों के लिए 450/– रूपये की कम्प्यूटर शिक्षण की राशि महाविद्यालय में प्रवेश के समय शुल्क के साथ जमा करानी होगी। नियुक्त शिक्षकों द्वारा सत्रावधि में छात्रों को 100 घंटे का सैद्वान्तिक व व्यावहारिक शिक्षण कराया जावेगा, जिसमें सभी प्रकार की प्रारम्भिक कम्प्यूटर तकनीकें सम्मिलित हैं। छात्रों से अनुरोध है कि वे अपने निर्धारित समूहों के अनुसार कम्प्यूटर प्रयोगशाला का उपयोग करें ।

6. योजना मंच

महाविद्यालय के किसी भी संकाय का छात्र इसका सदस्य बन सकता है। लेकिन कला संकाय के अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य संकाय के छात्रों के लिए सदस्यता अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को देश की समस्याओं और गतिविधियों तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगितायें विस्तार भाषण, शैक्षणिक, भ्रमण आदि का आयोजन करना है।

7. युवा विकास केन्द्र

राज्य में विद्याथियों की अधिकांश संख्या ऐसी है जो मार्गदर्शन के अभाव में बेंहतर भविष्य निर्माण के मौके को चूक जाते हैं। क्योंकि उन्हें समय पर केरियर निर्माण से सम्बन्धित जानकारी नहीं मिल पाती । कॉलेजों में अच्छे अंक लाने के बावजूद खास प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश नहीं पा सकते । और अन्त में परम्परागत डिग्री कोर्स करने के अलावा उनके सामने कोई विकल्प नहीं बचता। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने महाविद्यालयों में युवाविकास केन्द्र स्थापित किये है। सत्र 2009–10 में स्थानीय महाविद्यालय में युवा विकास केन्द्र की स्थापना की गई।

युवा विकास केन्द्र का उद्‌देश्य युवाओं के सर्वागीण विकास में सहायता करना तथा अनिवार्य गतिविधियो के रूप में युवा विकास केन्द्र पर विद्यार्थियों हेतु भावी अध्ययन, कैरियर, स्वरोजगार, रिक्तियों आदि की सूचनाऐं एवं कैरियर से सम्बन्धित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। स्नातक स्तर के अन्तिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को न्यूनतम 20 घण्टे का एक पाठ्‌यकम पूर्ण करने का अवसर भी दिया जाता है।

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को यही संदेश है कि महाविद्यालय के युवा विकास केन्द्र से मार्गदर्शन प्राप्त करके भविष्य को उज्ज्वल बनाने का हर संभव प्रयास करें ।

8. खुला विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र– वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के आवेदन पत्र भरवाने व अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था महाविद्यालय में करवाई जाती है।

9. खेलकूद

स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए शारीरिक शिक्षा के विभाग का यह दायित्व है कि विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा के माध्यम से चहुँमुखी विकास किया जावें। महाविद्यालय में बालीबाल, फुटबाल, हॉकी, किकेट, कबड्डी –एथलेटिक्क्स, भारोत्तोलन आदि ,खेलों की व्यवस्था है। छात्र शारीरिक प्रशिक्षक से सम्पर्क स्थापित कर लाभार्जन करे।

छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा छात्र सायंकाल 4 बजें से खेल के मैदान पर आवें। अच्छे स्तर की टीमों को विभाग महाविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बाहर भेजता है। समय समय पर स्थानीय मैच भी आयोजित किये जाते है एवं समस्त खेलों में अन्तः संकाय प्रतियोगिता एवं वार्षिक एथलेटिक मीट का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। छात्रों से अधिकतम संख्या में खेल मैदान पर खेलने की अपेक्षा की जाती है। जिससे उनके शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास में यह विभाग सहयोग कर सके।

10. छात्र संघ

महाविद्यालय में कोलेज शिक्षा आयुक्तालय के निर्देशानुसार एवं छात्र संघ संविधान के अन्तर्गत छात्र संघ का गठन किया जाता है। इसका कार्यकाल शैक्षणिक सत्रातं होता है। इसके अर्न्तगत छात्र कल्याण एवं विकास सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

11. साईकिल स्टेण्ड

महाविद्यालय में साईकिल स्टैण्ड सुविधा उपलब्ध हैं। साईकिल स्टैण्ड पर साईकिल मोटर साईकिल और स्कूटर आदि रखने वालों से प्रत्येक वाहन के लिए 20 रू वार्षिक दर से किराया वसूल किया जाता है। बाहरी व्यक्तियों के लिए यह सुविधा दो रूपया प्रति साईकिल व पॉच रूपये प्रति वाहन प्रतिदिन की दर से उपलब्ध है। साईकिल, मोटर साईकिल तथा स्कूटर साईकिल स्टैण्ड पर रखना अनिवार्य होगा। उन्हें अन्य किसी स्थान पर रखना निषेध है।

मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना–

कॉलेज शिक्षा निर्देशालय द्वारा मैरिट के आधार पर देय होगी। विस्तृत जानकारी विभाग के बेब पोर्टल पर दी गई है।

विश्वविद्यालय अध्यादेश 88

अगर कोई छात्र गंभीर दुर्व्यवहार अथवा जान बूझकर कार्य की उपेक्षा करने का दोषी पाया गया तो प्राचार्य उसकी प्रवृत्ति से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करके उस छात्र को –

1. कम से कम एम माह तक माहविद्यालय से निष्कासित कर सकते है।

2. कम से कम छः माह और अधिक से अधिक एक शैक्षणिक सत्र के लिए निष्कासित कर सकते है।

3. दी जाने वाली परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर सकते है। निष्कासित छात्र महाविद्यालय की अनुमति के बिना अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकेगा।

अभिभावकों से निवेदनः–

1. अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों/आश्रितों की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए समय समय पर प्राध्यापकों एवं प्राचार्य से अवश्य सम्पर्क करें।

2. सभी विद्यार्थियों के अभिभावक महाविद्यालय के समस्त कार्यक्रमों में सादर आमन्त्रित है। किसी को पृथक से निमंत्रण पत्र प्रेषित करना सम्भव नहीं होगा।

3. अभिभावक को चाहिए कि वे अपने बच्चों/आश्रित्रों के लिए पुस्तकों एवं पठन सामग्री का प्रबन्ध समय पर कर दें ताकि उनकी पढ़ाई में व्यवधान न हो।

4. उपस्थिति की कमी सम्बन्धी पत्र महाविद्यालय से प्राप्त होते ही, अपने पुत्र/आश्रित को महाविद्यालय निरन्तर आने के लिए निर्देश दें।

निदेशक कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियॉं

क्र.स.		छात्रवृत्ति	पात्रता	आय सीमा		दर प्रतिमाह
				छात्रा वास अछात्रावास		
1	2	3	4	5	6	7
1	राष्टिय छात्रवृत्ति	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	माता पिता की कुल	100	60	कक्षा 11,12
		अजमेर या विश्वविद्यालय	वार्षिक आय 25 हजार	120	90	एवंपार्ट–1 पार्ट
		में योग्यता सूची में आने	(अधिकतम) (स्नातकोत्तर	300	120	2,3 के लिए
		पर तथा अन्य छात्रवृत्ति	अध्ययन हेतु आय सीमा			स्नातकोत्तर
		धारक न होने पर नवीनी	नहीं)			
		करण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर ।				
2	आवश्यकता	राजस्थान के विद्यार्थी	माता पिता की कुल			क्रम एक के अनुसा
	एवं योग्यता	जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा	वार्षिक आय 20 हजार			तीनों नियम लागू
	छात्रवृत्ति	बोर्ड सैकण्डरी/सीनियर	रूपये से अधिक न हो			होंगे।
		सैकण्डरी/ उपाध्याय या				
		किसी महाविद्यालय से स्नातक				
		परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंकों				
		से उत्तीर्ण की हो । नवीनीकरण 50				
		प्रतिशत प्राप्तांक पर				
3	अध्यापकों के	सैकण्डरी या सीनियर सैकण्डरी	माता–पिता की कुल			क्रम एक के अनुसा
	बच्चों को देय	की परीक्षा 60 प्रतिशत या इससे	वार्षिक आय 20 हजार			तीनों नियम लागू

	राष्टीय छात्रवृत्ति	अधिक अंकों से उत्तीर्ण एवं निदेशक	रूपये अधिक न हो।	होंगे।
		प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा		
		राजस्थान बीकानेर द्वारा चयनित		
		। नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक		
		पर।		
4	मृतक राज्य	1. राज्य सेवा में कार्य करते हुए	कोई आय सीमा नहीं	50 रूपये स्नातक
	कर्मचारियों के	मृत कर्मचारी के उच्च शिक्षा में		
	बच्चों को देय	अध्ययनरत बच्चों के लिए ?		
	छात्रवृत्ति	2. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था		
		में अध्ययन करने व उत्तीर्ण होने पर ।		
		3. अन्य छात्रवृत्ति के साथ देय नहीं ।		

5.	स्वतंत्रता सेनानियो के	राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों		12.00	100	60	
	बच्चों को देय छात्रवृत्ति	के बच्चों एवं पोतों को अध्ययनरत					
		होने एवं गत परीक्षा उत्तीर्ण होने					
		पर देय					
6	भारत,पाक एवं चीन	इन युद्वों में मृतक या अपंग		14.400	100	60	
	युद्व में मृतक सैनिकों	सैनिकों के बच्चों एवं विधवाओं					
	के बच्चों/ विधवाों की	को जो महाविद्यालय में स्नातक					
	छात्रवृत्ति	स्तर तक अध्ययनरत है।					
7	ललित कला छात्रवृत्ति	राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर	आयकर दाता नहीं हो			100	60
		से मध्यमा/विशारद में प्रवेश लेने पर					
8	ललित कला छात्रवृत्ति	राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस से	आयकर दाता नहीं हो			100	60
		फाउण्डेशन कोर्स 60 प्रतिशत या					
		अधिक अंकों से उत्तीर्ण होकर					
		डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर					
9	राजस्थान के पूर्व सैनिकों	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण	आयरकर दाता नही ंहो				150
	की पुत्रियों को देय	कर महाविद्यालय में प्रवेश लेने					

छात्रवृत्ति	पर				
10. उर्दू छात्रवृत्ति	सीनियर स्तर पर राजस्थान की	कुछ नहीं	100		स्नातक स्तर
	मूल निवासी छात्राओं को 50				पर
	प्रतिशत अंकों के साथ महाविद्यालय				
	में उर्दू ऐच्छिक विषय लेकर पढ़ने				
	पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय				
	श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को उर्दू				
	विषय लेकर पढ़ने पर ।				
11 महिला योग्यता	सीनियर सैकण्डरी अजमेर या केन्द्रीय	आयकर दाता नहीं हो	100	60	पार्ट–1
छात्रवृत्ति	शिक्षा बोर्ड या स्नातक परीक्षा 60	आय एक लाख रूपये	120	90	पार्ट– 2–3
	प्रतिशत या अधिक अंकों से उत्तीर्ण	या इससे कम हो			
	की हो ।				
12 अनुसूचित जाति	राजस्थान के मूल निवासी	माता पिता की आय		570	300
		रूपये 2 लाख से			
		अधिक न हो			
13 जन जाति		माता पिता की आय		570	300
		रूपये 2 लाख से अधिक			
		न हो			
14 S.B.C		माता पिता की आय रूपये		570	300
		2 लाख से अधिक न हो			

15. सभी वर्गो के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति मेरिट के आधार पर कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा देय 500

16 देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि निर्देशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा देय केवल एस. बी.सी. छात्राओं के लिए

नोट– क्रम सं. 12,13,14 पर अंकित छात्रवृत्ति के लिए नवीन छात्रवृत्ति हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ माता/ पिता/ अभिभावक की आय के लिए नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ– पत्र के जरिये सभी स्रोतो से एक निश्चित आय का वर्णन करते हुए स्वनियोजित माता/पिता के आय का घोषणा पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें । नियोजित माता/पिता/अभिभावक का नियोजन से आय – प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा और अन्य स्रोतो से किसी अतिरिक्त आय के लिए उन्हें नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के जरिये पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणियॉ

1. नूतन से तात्पर्य किसी पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष अर्थात स्नातक/स्नातकोत्तर में पार्ट प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले वर्ष में प्रथम बार मिलने वाली छात्रवृत्ति से है। नवीनीकरण से आशय पाठ्यक्रम की समाप्ति तक प्रथम वर्ष के बाद वाले वर्षो की छात्रवृत्ति से है।

2. छात्रवृत्ति की अवधि से आशय पाठ्यक्रम की अवधि से है जैसे स्नातक उपाधि हेतु 3 वर्ष ।

3. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों के नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी का अच्छा आचरण एवं उपस्थिति की नियमितता आवश्यक है।

4. छात्रवृत्तियॉ सम्बन्धी आवेदन– पत्र सम्बन्धित शिक्षण संस्था के प्राचार्य से या निदेशालय कॉलेज शिक्षा से 20 रूपये प्रति फार्म उपलब्ध होंगे तथा उन्हीं को प्रस्तुत किये जाने हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के नूतन आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर/विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के स्थायी पते पर निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। अध्यापकों के बच्चों को देय राष्ट्रीय छात्रवृत्ति/नूतन आवेदन–पत्र निदेशक ,,प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से प्राप्त किये जाते हैं तथा पूर्ण भरकर उसी अधिकारी को भेजे जाते हैं।

5. आय की गणना– वेतन भोगी कर्मचारियों की दशा में मानक कटौती कम करके की जाती है।

6. छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र प्राप्त करने की तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी सूचना सूचना पट्ट पर लगा दी जावेगी।

7. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के छात्रों के माता पिता/अभिभावक अपने दो बच्चों के लिए ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके लिए माता पिता/ अभिभावक द्वारा यह घोषणा–पत्र देना होगा कि उनके दो से अधिक बच्चों ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की है / न ही प्राप्त कर रहें है।

8. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का भुगतान महाविद्यालय द्वारा केवल रेखांकित चैक द्वारा ही किया जावेगा। अतः सभी छात्रवृत्ति धारकों को चाहिए कि वे बैंक में अपना बचत खाता खुलवायें।

शुल्क मुक्ति एवं छात्र सहायता कोषः–

जिन छात्रों को विवरणिका में वर्णित नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है, वे शुल्क मुक्ति एवं छात्र सहायता कोष समिति के विचारार्थ अपने आवेदन–पत्र दे सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय से उपलब्ध कराये जावेंगे।

अगर किसी अभिभावक के दो या दो से अधिक छात्र महाविद्यालय में पढ़ते हैं तो शुल्क मुक्ति का लाभ केवल एक को ही मिलेगा ।

महाविद्यालय शुल्क तालिका

(अ) राज्य शुल्क

	सामान्य वर्ग		(SC/ST/	विशेष
	छात्र	छात्रा	OBC/SBC)	
1.पंजीयन शुल्क	1.00	1.00	1.00	
2. प्रवेश शुल्क	2.00	2.00	2.00	
3. शिक्षण शुल्क	(जो आयकर ं देते है।)		(जो आयकर नहीं देते है।)	
स्नातक पार्ट– प्रथम	144	–	42	
द्वितीय एंव तृतीय	180	–	54	
स्नातकोत्तर उत्तर्राद्व	240	–	96	
4. प्रयोग शाला शुल्क	100	100	100	
5. कम्प्यूटर शुल्क	450	450	450	
6. महाविद्यालय विकास समिति शुल्क	100	100	100	
7. कॉशन मनी (विज्ञान संकाय)	50	50	50	
8. कॉशन मनी (कंला एवं वाणिज्य)	20	20	20	
9. पुस्तकालय शुल्क	20	20	10	
10. पुस्तकालय कार्ड शुल्क	20	20	20	
11. पुस्तकालय ओपन शेल्फ शुल्क	10	10	5	
12. वाचनालय शुल्क	40	40	20	
13. बाषिक पत्रिका शुल्क	20	20	10	
14. मनोरजन शुल्क	20	20	10	
15.लिटरेरी शुल्क	20	20	10	
16. सामाजिक चेतना शुल्क (समाजशास्त्र के लिए)	5	5	5	
17. सामान्य प्रयोजन शुल्क	60	60	30	
18. विद्यार्थि सहायता शुल्क	10	10	5	
19. पर्यावरण शुल्क	10	10	10	
20. स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क	20	20	10	
21. परिचय पत्र शुल्क	10	10	10	

22. विषय परिषद शुल्क	20	20	10	
23. कम्प्यूटर वाई फाई शुल्क	20	20	20	
24. महाविद्यालय विकास शुल्क	60	60	30	
25. महाविद्यालय खेल कूद शुल्क	60	60	30	
26. छात्र संघ शुल्क	60	60	30	
27. साईकिल स्टेण्ड शुल्क	50	50	50	
28. महिला प्रकोष्ट शुल्क		**50**	**50**	**सभी छात्राओं से**
29. स्काउटिग शुल्क	10	10	10	
30. उपस्थिति सूचना शुल्क	5	5	5	
31. विद्युत खर्च शुल्क	25	25	25	
32. छात्र बीमा शुल्क	100	100	100	
33. विश्वविद्यालय खेल शुल्क	100	100	100	
34. परीक्षा शुल्क	10	10	10	
35. स्नातकोत्तर सेमिनार शुल्क	100	100	100	
36. स्वच्छता शुल्क	50	50	50	

नूतन प्रवेशार्थियों को उक्त शुल्क के अतिरिक्त निम्न शुल्क और देना होगा–

विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	150	150	150
पात्रता शुल्क	150	150	150

नोट – 1. युद्व में शहीद जवानों के आश्रितों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।

नोट– 2. पंचायत समिति जिला परिषद के कर्मचारियों पर आश्रित छात्रों से जिनके अभिभावक आयकर नहीं देते हैं, उनसे शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।

2. महाविद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्र/छात्रा को तीन वर्ष की अवधि में ही कॉशन मनी की राशि लौटाई जावेगी। इस अवधि के पश्चात् वह राजकीय कोष में जमा करा दी जावेगी।

3. उपर्युक्त शुल्क राशि में यदि राज्य सरकार /विश्वविद्यालय द्वारा कोई परिवर्तन या वृद्वि की जाती है तो छात्र द्वारा वह राशि देय होगी।

चेतावनी

रेगिंग पर प्रतिबन्ध

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में रेगिंग को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है। अगर महाविद्यालय प्रशासन की जानकारी मे रेगिंग की कोई घटना आती है तो सबन्धित छात्र को स्पष्टीकरण का अवसर दिया जावेगा एवं उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उसे महाविद्यालय से निष्काषित कर दिया जायेगा।

वैधानिक चेतावनी

केन्द्रीय सरकार, सिगरेट ओर अन्य तम्बाकू उत्पादन विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 के तहत शिक्षण संस्थाओं के एक सौ गज की दूरी के अन्तर्गत सिगरेट, तम्बाकू बेचना निषेध है तथा शैक्षणिक संस्थान के क्षेत्र में तम्बाकू युक्त गुटखा, पान मसाला, सिगरेट एवं बीड़ी का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय परिसर में उसका उपयोग करते हुए पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

गंगापुर सिटी एक नजर

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिलान्तर्गत गंगापुर सिटी मुम्बई दिल्ली रेल लाइन पर स्थित है गंगापुर सिटी जिले का महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र है। यह नगर सवाई माधोपुर से 65 एवं जयपुर से 140 किलोमीटर दूर है। अलवर,आगरा,ग्वालियर,जयपुर,अजमेर एवं दिल्ली के लिए यहॉ से सीधी बस सेवाऍ उपलब्ध है। लगभग सभी प्रमुख सवारी रेलगाडियों का यहॉ ठहराव है । प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कैलादेवी एवं श्री महावीर जी यहॉ से लगभग 35 कि.मी दूर स्थित है। राजकीय महाविद्यालय यहॉ के बस स्टेण्ड से लगभग 3 कि.मी दूर गंगापुर–अलवर मार्ग पर स्थित है।

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य : **प्रो0 बृजेन्द्र सिंह मीना**

उपाचार्यः ————————

कला संकाय

हिन्दी विभाग

1. श्री गंगाराम मीना(सह–आचार्य)
2. श्री दिनेश कुमार मीना(सहायक आचार्य)
3. डॉ0 अरविन्द कुमार दीक्षित(सह–आचार्य)
4. डॉ0 अशोक कुमार शर्मा(सह–आचार्य)

अंग्रेजी विभाग

1. रिक्त
2. रिक्त

संस्कृत विभाग

1. श्री रामकेश मीना(सह–आचार्य)
2. श्री सुरेश चन्द मीना(सह–आचार्य)
3. डॉ. बिहारी लाल मीना(सह–आचार्य)
4. डॉ. गुजंन गर्ग(सहायक आचार्य)

राजनीति विज्ञान विभाग

1. डॉ. सोनू लाल मीना(सह–आचार्य)
2. डॉ. बनवारी लाल मेनावत(सह–आचार्य)
3. श्री कल्लन सिंह मीना(सह–आचार्य)
4. श्री धर्मवीर मीना(सहायक आचार्य)
5. डॉ. रमेशी मीना (सहायक आचार्य)
6. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा(संविदा)
7. रिक्त

समाज शास्त्र विभाग

1. श्री कैलाश बैरवा (सह–आचार्य)
2. रिक्त

अर्थशास्त्र विभाग

1.रिक्त
2.रिक्त

इतिहास विभाग

1. श्रीमती पिंकी मीना(सहायक आचार्य)
2. रिक्त
3. रिक्त

सहायक लेखा अधिकारी

1.श्री महेन्द्र कुमार शर्मा

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

1. श्री उमरदीन (संस्थापन)

प्रयोगशाला सहायक

1. श्री ललता प्रसाद (रसायन शास्त्र /भौतिक शास्त्र)
2. श्री रामावतार मीणा (प्राणी शास्त्र/वनस्पति शास्त्र)
3. श्री सत्यनारायण शर्मा (स्टोर)
4. रिक्त

वरिष्ठ सहायक

1. श्री राधेश्याम गुर्जर (छात्रवृत्ति एवं आवक–जावक)

विज्ञान संकाय

भौतिक शास्त्र विभाग

1. श्री रामनेरश मीना(सहायक आचार्य)

रसायन शास्त्र विभाग

1. श्री चन्द्रशेखर मीना(सहायक आचार्य)
2. श्री राकेश कुमार दुबे(सहायक आचार्य)
3. श्रीमती उर्मिला मीना(सहायक आचार्य)
4. श्री विजेन्द्र कुमार मीना(सहायक आचार्य)

गणित विभाग

1. रिक्त

वनस्पति शास्त्र विभाग

1. श्री बृजेन्द्र सिंह मीणा(सह–आचार्य)
2. श्री महेन्द्र कुमार मीणा(सहा–आचार्य)

प्राणी शास्त्र विभाग

1. डॉ. सुमित्रा मीना (सह–आचार्य)
2. डॉ. रवि बाला गोयल(सह–आचार्य)

वाणिज्य संकाय

लेखा एवं व्यावसायिक

सांख्यिकी विभाग

1. रिक्त

आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग

1. श्री नरेन्द्र कुमार मीना (सहायक आचार्य)

व्यावसायिक प्रशासन विभाग

1. रिक्त

शारीरिक अनुदेशक

1. श्री राजू लाल मीना

सहायक पुस्तकालयध्यक्ष

1. रिक्त

कनिष्ठ सहायक

1. श्री बालकृष्ण वशिष्ठ(केशियर)
2. श्री दीपक कुमार सैनी(संकाय)
3. श्री सौरभ शर्मा(बिल एवं संकाय)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री गिर्राज प्रसाद माली
2. श्री कमल लाल मीणा
3. श्री प्रेमप्रकाश मीना

राष्ट्रीय सेवा योजना :–

1. श्री दिनेश कुमा मीना (इकाई 'अ')
2. डॉ. धर्मवीर मीना (इकाई 'ब')
3. श्री रामनरेश मीना (इकाई 'स')

एन.सी.सी. ऑफिसरः–

1. श्री विजेन्द्र कुमार मीना

रोवर लीडर :–

1. श्री कल्लन सिंह मीना

रेजरिंग लीडर :–

1. श्रीमती पिंकी मीना

युवा विकास केन्द्र प्रभारी :–

1. डॉ0 बनवारी लाल मेनावत

मानवाधिकार प्रकोष्ठ प्रभारी :–

1. डॉ0 बनवारी लाल मेनावत

महिला प्रकोष्ठ :–

1. डॉ0 सुमित्रा मीना – संयोजक
2. डॉ0 रविबाला गोयल – सदस्य
3. डॉ0 गुंजन गर्ग – सदस्य
4. श्रीमती उर्मिला मीना – सदस्य
5. डॉ0 रमेशी मीना – सदस्य
6. श्रीमती पिंकी मीना – सदस्य
7. छात्र प्रतिनिधि

हैल्प डेस्क समितिः–

1. श्री गंगाराम मीना – संयोजक
2. डॉ. सोनू लाल मीना – सदस्य
3. डॉ. गुंजन गर्ग – सदस्य
4. श्री राकेश कुमार दुबे – सदस्य
5. डॉ0 अशोक कुमार शर्मा – सदस्य
6. श्री राजू लाल मीना – सदस्य

सूचना अधिकार प्रकोष्ठ :–

1. श्री कल्लन सिंह मीना – संयोजक
2. श्रीमती पिंकी मीना – सदस्य
3. डॉ0 अरविन्द कुमार दीक्षित – सदस्य

कार्यस्थल पर महिला उत्पीडन रोकथाम समिति :–

1. डॉ. सुमित्रा मीना – अध्यक्षा
2. श्री गंगाराम मीना – सदस्य
3. डॉ0 रविबाला गोयल – सदस्य
4. श्री कैलाश बैरवा – सदस्य
5. डॉ0 गुंजन गर्ग – सदस्य
6. सी.डी.पी.ओ.
7. श्रीमती संगीता बोहरा – चेयरमैंन, नगरपरिषद, गंगापुर सिटी
8. डॉ. दर्शी चतुर्वेदी – व्याख्याता, अग्रवाल कन्या महाविद्यालय
9. एन.जी.ओ. प्रतिनिधि
10. कु0 विशाख सैन – छात्रा
11. कु0 अपर्णा शर्मा – छात्रा
12. कु0 सिद्धी शर्मा – छात्रा

13. कु0 लक्ष्मी मिरोठा – छात्रा
14. कु0 कविता गुर्जर – छात्रा

रैगिंग रोकथाम समिति :–

1. डॉ0 सुमित्रा मीना – संयोजक
2. श्री महेन्द्र कुमार मीना – सदस्य
3. श्री कल्लन सिंह मीना – सदस्य
4. श्रीमती उर्मिला मीना – सदस्य
5. श्री दिनेश कुमार मीना – सदस्य
6. श्री रामनरेश मीना – सदस्य
7. डॉ0 अशोक कुमार शर्मा – सदस्य
8. श्री राजू लाल मीना – सदस्य

प्रवेश समिति सत्रः— 2020—21

श्री लक्ष्मीचन्द मीना, समन्वयक समस्त प्रवेश प्रक्रिया

प्रथम वर्ष (कला संकाय)

1. श्री रामकेश मीना, संयोजक(प्रथम वर्ष एवं प्रवेश प्रभारी कला संकाय)
2. श्री गंगाराम मीना, सदस्य(ऑन लाईन आवेदन पत्रों की जांच)
3. डॉ. बनवारी लाल मेनावत
4. श्री कल्लन सिंह मीना
5. डॉ. गुंजन गर्ग
6. श्रीमती पिंकी मीना

द्वितीय वर्ष (कला संकाय)

1. श्री सुरेश चन्द मीना, संयोजक
2. डॉ. बिहारी लाल मीना, सदस्य
3. श्री दिनेश कुमार मीना(ऑन लाईन आवेदन पत्रों की जांच)
4. डॉ. अरविन्द कुमार दीक्षित

तृतीय वर्ष (कला संकाय)

1. श्री कैलाश बैरवा, संयोजक
2. श्री धर्मवीर मीना(ऑन लाईन आवेदन पत्रों की जांच)
3. डॉ. रमेशी मीना
4. डॉ. अशोक कुमार शर्मा

बीएससी. पार्ट—प्रथम

1. डॉ0 सुमित्रा मीना, संयोजक(प्रथम वर्ष एवं प्रवेश प्रभारी विज्ञान संकाय)
2. श्री चन्द्रशेखर मीना, सदस्य
3. श्री राकेश कुमार दुबे
4. डॉ0 विजेन्द्र कुमार मीना(ऑन लाईन आवेदन पत्रों की जांच)

बीएससी. पार्ट—द्वितीय व तृतीय

1. डॉ0 रविबाला गोयल, संयोजक
2. श्रीमती उर्मिला मीना, सदस्य
3. श्री रामनरेश मीना (ऑन लाईन आवेदन पत्रों की जांच)

बीकॉम / एमकॉम.

1. श्री महेन्द्र कुमार मीना, संयोजक(प्रथम वर्ष एवं प्रवेश प्रभारी वाणिज्य संकाय)
2. श्री नरेन्द्र कुमार मीना(ऑन लाईन आवेदन पत्रों की जांच)
3. डॉ0 अरविन्द कुमार दीक्षित

एम.ए. राजनीति विज्ञान

1. डॉ0 सोनू लाल मीना, संयोजक
2. डॉ. बनवारी लाल मेनावत, सदस्य
3. श्री कल्लन सिंह मीना
4. श्री धर्मवीर मीना (ऑन लाईन आवेदन पत्रों की जांच)

ऑन लाईन कार्य हेतु नोडल अधिकारी

1.	श्री महेन्द्र कुमार मीना	– स्नातक	7877111888
2.	डॉ0 सोनू लाल मीना	– स्नातकोत्तर	9460597598

विवरणिका समिति

श्री रामकेश मीना, संयोजक
श्री सुरेश चन्द मीनाा, सदस्य
श्री गंगाराम मीना, सदस्य
श्री महेन्द्र कुमार मीना, सदस्य